झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ, आदित्यपुर, जगन्नाथपुर,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर, झारखण्ड।

विषयः– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग आदि के निमित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 1,89,95,900/– (रू0 एक करोड़ नवासी लाख पंचानबे हजार नौ सौ) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित विभिन्न कार्यक्रम किया जाने का प्रस्ताव है। इसी क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 833 दिनांक 07.10.2024 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/खरसावाँ/जगन्नाथपुर तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर के विद्यार्थियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर का चयन किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु संबंधित तकनीकी शिक्षण संस्थान के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाना है। वित्त विभागीय पत्रांक 338 दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 624 दिनांक 02.09.2025 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 833 दिनांक 07.10.2024 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 30/योजना दिनांक 19.02.2026 के आलोक में चालू वितीय वर्ष 2025–26 में कुल 3,00,00,000/– (रू0 तीन करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित विभिन्न कार्यक्रम किये जाने हेतु निम्न तालिका के अनुसार कुल 1,89,95,900/– (रू0 एक करोड़ नवासी लाख पंचानबे हजार नौ सौ) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र0	पोलिटेकनिक का नाम	विपत्र कोड परामर्शी शुल्क ईकाई 43S220300003A7010331
1.	राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ	63,00,000.00
2.	राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर	34,28,320.00
3.	राजकीय पोलिटेकनिक, जगन्नाथपुर	56,18,340.00
4.	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर	36,49,240.00
	कुल	**1,89,95,900.00**

2. राशि की निकासी एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग–(Sub Scheme Head–01–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टिट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग) विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय के परामर्शी शुल्क ईकाई में उपबंधित राशि में से रू0 3,00,00,000/– (रू0 तीन करोड़) मात्र विकलनीय होगा।
   विपत्र कोड – 43S220300003A7010331
3. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार विभागान्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के लिए विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।
5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक– 338 दिनांक–28.03.2025 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
10. विषयांकित राशि वित्त विभाग के पत्रांक 624/बजट दिनांक 02.09.2025 के द्वारा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त हुआ है।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0योजना –35/15 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0योजना –35/15/29/बजट /राँची, दिनांक– 25/02/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड,/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/कुल सचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/माननीय विभागीय मंत्री प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.26

सरकार के प्रधान सचिव।